भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक प्रभाग)

***

सं. यू.II/551/17/2020 दिनांक: 09 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

महोदय,

कृपया दिनांक 17.09.2020 को इस प्रभाग में प्राप्त अपने सूचना का अधिकार आवेदन का अवलोकन करें। आपके प्रश्न सं. 06 का उत्तर निम्नानुसार है:

वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में छह आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रैंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश तथा अरबी। हालांकि पांच भाषाएं शुरू से ही आधिकारिक भाषाएं थीं, अरबी को 1973 में संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। किसी भी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए, सबसे पहले एक देश या देशों का समूह, किसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक प्रारूप संकल्प प्रस्तुत करेगा। तब संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के महासभा कार्य के विभाग तथा सम्मेलन प्रबंधन (डीजीएसीएम) इस प्रस्तावित संकल्प को लागू करने के लिए वित्तीय निहितार्थों का मूल्यांकन करता है। (तकनीकी रूप से इसे प्रोग्राम बजट इंपलीकेशन (पीबीआई)) कहा जाता है। प्रोग्राम बजट इंपलीकेशन 15 स्वतंत्र रूप से चयनित विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा सावधानीपूर्वक देखा जाएगा जो कि यूएनजीए के पांचवी समिति के "एडवाजरी कमेटी आन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटेटिव क्वेश्चन (एसीएबीक्यू)" में शामिल है। एसीएबीक्यू से प्राप्त किसी भी सकारात्मक अनुशंसा को पांचवी समिति द्वारा स्वीकार करना तथा मुख्य शीर्ष यूएनजीए के पास प्रस्ताव को विचार करने हेतु भेजने के लिए सहमत होना आवश्यक है, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा विचार किया जाता है। अंतिम रूप से, मुख्य संकल्प तथा पीबीआई दोनों को ही स्वीकार करने हेतु यूएनजीए की सहमति आवश्यक है। आम तौर पर पांचवी समित में और/या यूएनजीए में जहां वित्तीय निहितार्थ शामिल होता है, निर्णय आम सहमति के सिद्धांत पर लिया जाता है। यद्यपि, यदि कोई आम सहमति नहीं बनती है, तब पांचवी समिति और/या यूएनजीए दोनों में ही, प्रस्ताव/संकल्प को उपस्थित और वोटिंग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पास कराना होता है (193 सदस्यों में से 129 सदस्य, यदि सभी उपस्थित हों)।

भारत सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करने तथा विश्व में इसे प्रसिद्ध करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। यद्धपि हिन्दी को आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है फिर भी भारत सरकार के निरंतर प्रयासो से संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट और सोशल मीडिया माध्मयों में हिंदी की विषय वस्तु की मात्रा को बढाया जा रहा है जिसकी पंहुच और लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हुई है।

इन प्रयासों के अंतर्गत जून 2018 से संयुक्त राष्ट्र यू एन रेडियो वेबसाइट पर अपना कार्यक्रम हिन्दी मे भी प्रसरित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष पर 10 जनवरी 2019 को हिंदी समाचार वेबसाइट का शुभारंभ किया है, पिछले वर्षों में, संयुक्त राष्ट्र ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित शुरू किया है:

क) यूएन की हिंदी वेबसाइट
ख) यूएन का हिंदी फेसबुक पेज
ग) यूएन का हिंदी ट्विटर अकाउंट
घ) यूएन का हिंदी इंस्टाग्राम पेज
ड़) साउंड क्लाउड पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन
च) यूएन ब्लॉग हिंदी में
ज) यूएन न्यूज़ मोबाइल ऐप (Android और iOS) का हिंदी विस्तार

संयुक्त राष्ट्र संघ की तात्कालिक प्रगतियों एवं सूचनाओ को ऊपर दी गयी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेट्फार्म यथा ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर हिंदी में दिया जा रहा है। इन प्लेटफार्म के हिन्दी फोलोवर्स लगातार बढ़ रहे है। 09 अक्तूबर, 2020 तक संयुक्त राष्ट्र हिंदी ट्विटर हेंडल के 33,700 फोलोवर्स हैं तथा संयुक्त राष्ट्र हिंदी इंस्टाग्राम के 13,500 फोलोवर्स हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र फेसबुकके वैश्विक पेज पर एक हिंदी पेज जोडा गया है जिसकी पहुंच 5.2 मीलियन से ज्यादा लोगों तक है।

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उत्पादित हिंदी सामग्री की मात्रा और आवृत्ति बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए है जिसे हिन्दी के प्रचार प्रसार की लिए दिसम्बर 2019 मे अगले 05 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर श्री डी॰ मंजूनाथ, निदेशक, यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, कमरा सं. 1118, बी विंग, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23 डी, जनपथ, नई दिल्ली-110011, दूरभाष 011- 49018413 को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

(स्मिता पाटिल)
उप सचिव (यूएनपी)
कमरा सं. 1108, 'बी' विंग
जवाहरलाल नेहरू भवन,
23-डी, जनपथ,नई दिल्ली-110011
फोन.: 011-49018104

कार्यालय प्रति:

1. अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

सं.12024/04/2020-राभा(का.2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

882/20

नई दिल्ली सिटी सेंटर-।। बिल्डिंग,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक : 09.09.2020

2276
17-09-20

सेवा में

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का अग्रेषण ।

महोदय,

कृपया सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति सचिवालय को संबोधित दिनांक 30.06.2020 के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो उपसचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय के दिनांक 14.08.2020 के पत्र के माध्यम से राजभाषा विभाग के कार्यान्वयन-2 अनुभाग को दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त हुआ है । आपके आवेदन में क्रम सं 5 का संबंध राजभाषा विभाग के नीति अनुभाग से और क्रम सं 6 का संबंध विदेश मंत्रालय से है । अतः आवेदन की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु नीति अनुभाग और विदेश मंत्रालय को प्रेषित की जा रही है ।

२. यदि आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं - श्री संदीप आर्य, निदेशक (का.) तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, चौथा तल, बी विंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001.

भवदीय,

(एस. आर. मीना)
अवर सचिव (का.2) एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष : 011-23438143

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, नीति अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवेदन के क्रम सं 5 से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को भिजवाएं ।

2 आर टी आई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, कमरा नं 2021, 'ए' विंग, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आवेदन के क्रम सं 6 से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को भिजवाएं ।

Pl. forward to US(UNP).
SO(RTI) SLKB
1719

सं0 ए-43020/01/2020-आर.टी.आई – 2233

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

-*-*-*-*-

नई दिल्ली, दिनांक 14/08/2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री.....

आवेदन का अंतरण।

इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री .... का दिनांक 11/06/2020 का आवेदन राजस्व विभाग से अंतरण द्वारा प्राप्त हुआ है (इस मंत्रालय में दिनांक 10/8/2020 को प्राप्त)।

2. चूंकि अपेक्षित सूचना राजस्व विभाग ~~मंत्रालय~~ कार्यालय से संबंध रखती है/ के कार्यों से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को आगे केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को कर दिया जाए

3. आवेदक ने रसीद संख्या........................ दिनांक........................ (प्रति संलग्न) के माध्यम से 10/- रुपये का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/ अदा नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित है।

अनुलग्नक: यथोपरि

(एस के झा)

उपसचिव (ए.) एवं के.लो. सू. अ.
दूरभाषा: 23093029
Email: sk.jha65@gov.in

सेवा में,
[illegible]
के.लो.सू.अधिकारी
राजस्व विभाग,
[illegible]

प्रतिलिपि

RTI

[illegible]

[illegible]

2233 / ... / 11/8/2020

सूचना का अधिकार

0168/आर.टी.आई./06/20-21
राष्ट्रपति सचिवालय
PRESIDENT'S SECRETARIAT
आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.
Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.
28 जुलाई 2020

सेवा में,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपके दिनांक 11.06.2020 के आवेदन पत्र के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपका दिनांक 11.06.2020 का आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2020 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में इस सचिवालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2020 का अवलोकन करें। इस संदर्भ में बिंदुवार सूचनाएँ निम्न हैं:-

(बिंदु सं.1;2,4 व 7) आपके 4 प्रतिवेदन इस सचिवालय के संबन्धित विभाग में प्राप्त हुए हैं। आपके उन प्रतिवेदनों को भारत सरकार के सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रांक संख्या P1/A/2502200442, P1/A/2707160065, P1/E/2606140014 एवं P2/G/2407120130 दिनांक 25.02.2020, 27.07.2016, 26.06.2014 एवं 24.07.2012 द्वारा समुचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया गया है (**कंप्यूटर जनित प्रतियां संलग्न**)। प्रतिवेदनों का विषय उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित होने के कारण उक्त प्रतिवेदनों को संबद्ध विभाग को अग्रसारित कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जानकारी के लिए आप उनके कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसे कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/2/2008-आई. आर., दिनांक 12 जून 2008 के संदर्भ में निस्तारित किया जा रहा है।

(बिंदु सं.3) दया याचिका 72(c) से संबन्धित सूचना राष्ट्रपति सचिवालय की वेबसाइट (rashtrapatisachivalaya.gov.in) पर उपलब्ध है।

(बिंदु सं.5-6) आपके आरटीआई आवेदन पत्र की प्रति को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पूर्व में ही हस्तांतरित कर दिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप संबन्धित लोक प्राधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

आपके आरटीआई आवेदन पत्र की प्रति को उपरोक्त मंत्रालयों को हस्तांतरित किया जा रहा है। आगे की जानकारी के लिए आप संबन्धित लोक प्राधिकारी से सीधे संपर्क करें।

यदि आप उपर्युक्त उत्तर से असंतुष्ट हैं तो पुनरीक्षण हेतु इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर निम्न लिखित अधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं-श्री रवि शंकर, संयुक्त सचिव और सोशल सेक्रेटरी एवं अपीलीय प्राधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

भवदीय

जे. जी. सुब्र
(जे. जी. सुब्रमणियन)
उपसचिव और के. लो. सू. अ.
दूरभाष: 011-23015321.

सहायक निदेशक/ राजभाषा विभाग

10 AUG 2020
18330

संलग्नक- उपर्युक्त।

आर.टी.आई. के तहत राष्ट्रपति सचिवालय भी सवालों के घेरे में

RTI Application
President's Secretariat
(RTI) Section
Dy. No. 0168/RTI/06/20-21
Date 30/06/20
Signature

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय – राष्ट्रपति
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

सादर सूच्य है कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मुझे अधोलिखित सूचनायें/जानकारी नियमानुसार 30 दिन में प्रदान कर कृतार्थ करे।

(1) – वर्तमान राष्ट्रपति ने जब से इस पद की शपथ ग्रहण कर कार्यभार ग्रहण किया उन्हे न्याय हेतु कितने फरियादियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये और उसमे से कितनो का निस्तारण हुआ है तथा कितने आज भी लम्बित है के बारे मे जानकारी देने की जहमत करे।

(2) – क्या फरियादियों के प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो पर उनके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है, क्या इसका पृष्ठांकन फरियादियों को भी भेजा जाता है। बतायें

(3) – वर्तमान राष्ट्रपति के पास अब कितनी दया याचिकायें लम्बित है और उनका निस्तारण कब तक किया जायेगा ?

(4) – आमतौर पर फरियादियों द्वारा जिसके विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर न्याय हेतु शिकायत की जाती है उसका प्रकरण अन्ततः उसी के पास कार्यवाही के लिए भेज दिया जाता है, जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है और उसी के द्वारा दी गयी आख्या को ही अंतिम सच मानकर प्रकरण निस्तारित दिखा दिया जाता है। क्या ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध नही है ? क्या राष्ट्रपति कार्यालय मे भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है के बारे मे सूचना देने की कृपा करे।

(5) – लोकशाही के लिए लोकभाषा का व्यवहार मे होना लाजिमी है क्योंकि बिना लोकभाषा के लोकराज सम्भव नही है फिर भी आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद केन्द्रीय सरकार का अधिकांश कामकाज शोषण और गुलामी की प्रतीक सामन्ती भाषा अंग्रेजी मे ही क्यो होता है। इसमे कब तक तब्दीली की जायेगी।

(6) – भारत दुनिया की आबादी के छठवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है फिर भी संयुक्त राष्ट्रसंघ मे कार्यवाही के लिए स्वीकृत 5 भाषाओ मे हिन्दी का नाम क्यों नही है। इसमे परिवर्तन की प्रक्रिया कब शुरू की जायेगी।

(7) – मैने संलग्न विहार की तरह देश और प्रदेशों मे शराब बन्दी करने की मॉंग तथा प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया मे विज्ञापन की मात्रा निर्धारित करने की मांग सम्बन्धी प्रार्थना पत्र/ज्ञापन आदि कई बार मा० राष्ट्रपति को भेजा था उस पर की जाने वाली कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक – 11 जून 2020

संलग्नक 10 इकोनामी पोस्टल आर्डर नम्बर 46F 341225 की मूलप्रति

प्रतिलिपि – मुख्य सूचना आयुक्त केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को भी प्रेषित